

2/11/22

अधिवक्ता अपीलान्तर् ने प्राप्ति पर  
प्रत्यक्ष का निवेदन दिया कि इस  
प्रकरण से संबंधित मूल कांड का  
निलंबन अधिनियम न्यायालय द्वारा  
दिया जा रहा है, मूल अपील द्वारा निवेदन  
होने से रकाम फासादे। प्रतापती तलब  
की जाडा अधिवक्ता अपीलान्तर् द्वारा  
प्रत्यक्ष प्राप्ति पर का अवलोकन करने  
से स्पष्ट होता है कि मूल कांड 17/9/21  
के निलंबन से आते है अपील निवेदन  
होने कि रकाम की गम्भीरी

राजेश्वर अपील प्राधिकारी  
प्रतापती